संख्या:13/2021/आई/105515/2021-फाईल न0-10-19099/35/2021-22

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 अक्टूबर, 2021

विषय: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के दिनांक 24-06-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनर्निर्धारण ।

महोदय,

रिट याचिका संख्या-6759/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य तथा रिट याचिका संख्या-11587/2020 डॉ0 राकेश दूबे एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश क्रमशः दिनांक 01-09-2020 तथा 10-12-2020 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-11/2021/आई/97860/2021-फाईल नं0-10-19099/35/2021-22 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के दिनांक 24-08-2009 के पूर्व सेवानिवृत्त राजकीय चिकित्सकों/दन्त शल्य चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-13/2020 /सा-3-326/दस-2020-308/ 2016(1) दिनांक 14-07-2020, तत्क्रम में निदेशक, पेंशन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 16-07-2020 एवं शासनादेश संख्या-14/2020/सा-3-359/दस-2020 -308/2016(1) दिनांक 04-09-2020 का क्रियान्वयन स्थगित रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- रिट याचिका संख्या-13029/2020 अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, वित्त एवं अन्य के साथ समबद्ध अन्य 13 रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-09-2021 का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है -

''all the writ petitions are allowed and the impugned orders dated 14/07/2020, 16/07/2020 and 04/09/2020 are quashed, and the petitioners are held to be entitled to NonPracticing Allowance as revised by the Government order dated 19/08/2019. The amount of Non-Practicing Allowance recovered in pursuance to the impugned Government orders is directed to be refunded along with arrears within a period of three months from today, failing which interest at the rate of 8% per annum will be paid for delay in payment beyond the period of three months. ''

3- अवमानना वाद संख्या-2699/2021 डॉ0 शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम एस0 राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-09-2021 का कार्यकारी अंश निम्नानुसार है -

''It is submitted by learned counsel for the applicants that the non practising allowance which the applicants were getting earlier, was without any reason stopped and resultantly the ultimate pension has got adversely affected. The question, therefore, whether the non practising allowance would form part of calculation to make the pension admissible at that rate is yet to be considered and decided in order to see that there is complete compliance of the order of writ Court. It is further submitted by learned counsel for the applicants that in the writ petition, on the basis of which the interim protection was issued by this Court on 10.12.2020, has already stood allowed at the Lucknow Bench of this Court vide judgment and order dated 02.09.2021. ''

4- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 02-09-2021 तथा 17-09-2021 के अनुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 14-09-2021 द्वारा शासानदेश दिनांक 14-07-2020, तत्क्रम में निदेशक, पेंशन द्वारा निर्गत आदेश दिनांक 16-07-2020 तथा शासनादेश दिनांक 04-09-2020 को स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप शासनादेश सं0-23/2019/सा-648/दस-2019-308/2016, दिनांक 09-08-2019 अपने मूलरूप में प्रभावी हो गया है। अतः, संबंधित सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन शासनादेश दिनांक 09-08-2019 के अनुसार किया जाये। शासनादेश दिनांक 14-07-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2020 सपठित शासनादेश दिनांक 14-09-2020 के अनुसार जिन सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पेंशन से वसूली की गई है, उन्हें वसूल की गई धनराशि अविलम्ब वापस की जाये।

भवदीया,

एस0 राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव, वित्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
3- समस्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ, लखनऊ।
4- समस्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।